न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **100/2023**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. जेठाराम पुत्र जगाराम (जगुराम) 2. मगाराम पुत्र जगाराम (जगुराम) 3. केसाराम पुत्र जालाराम 4. गोरधनराम पुत्र खेताराम 5. ओमाराम पुत्र खेताराम 6. श्रीमति लहरो देवी पत्नी खेताराम 7. किरण पुत्री खेताराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमति लहरो देवी पत्नी खेताराम 8. बबिता पुत्री खेताराम जातियान जाट निवासी ग्राम रामदेवनगर (पीलवा) तहसील देचू जिला जोधपुर		1. श्रीमति रामुदेवी पुत्री कानाराम पत्नी नवलाराम जाति जाट निवासी ग्राम देरामनगर भोजाकोर तहसील देचु जिला जोधपुर हाल मूलजी का बेरा, चामू तहसील सेखाला 2. पोकरराम पुत्र पेमाराम 3. रेवतराम पुत्र पेमाराम 4. शम्भूराम पुत्र भोमाराम 5. बाबुराम पुत्र भोमाराम 6. लुम्बाराम पुत्र पुरखाराम 7. गुणेशाराम पुत्र पुरखाराम 8. दानाराम पुत्र पुरखाराम 9. किरताराम पुत्र पुरखाराम 10. भरमलराम पुत्र पुरखाराम 11. केलाश पुत्र पुरखाराम 12. जसाराम पुत्र पुरखाराम 13. गिरधारीराम पुत्र पुरखाराम 14. झमुदेवी पत्नी पुरखाराम जातियान जाट निवासी ग्राम रामदेवनगर (पीलवा) तहसील देचू जिला जोधपुर। 15. सरपंच,ग्राम पंचायत पीलवा तहसील देचू जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.1.2023 उपखण्ड अधिकारी,देचू के द्वारा राजस्व अपील संख्या 16/2022 अनवान श्रीमती रामूदेवी बनाम जेठाराम वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः—

1— श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।

2—रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 15 बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 26 अक्टूबर 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 01 श्रीमति रामूदेवी ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देचू के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किया कि ग्राम रामदेवनगर तहसील देचू जिला जोधपुर के खसरा संख्या 2209 रकबा 57 बीघा (09.2268 हैक्टयर) खसरा संख्या 2202 रकबा 145 बीघा 09 बिस्वा (23.5446 हैक्टयर) खसरा संख्या 2204 रकबा 184 बीघा 16 बिस्वा (29.9143 हैक्टयर) खसरा संख्या 2211 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा (03.6907 हैक्टयर) एवं ग्राम पिलवा तहसील देचू जिला जोधपुर के खसरा संख्या 2216 रकबा 08.7817 हैक्टयर, ग्राम देरामनगर के खसरा संख्या 345 रकबा 48 बीघा 08 बिस्वा (22.5652 हैक्टयर) कुल रकबा 710 बीघा 02 बिस्वा आई हुई है। उक्त भूमि में कानाराम पुत्र मोटाराम, जगु पुत्र हुकमा 1/2 दर्ज थी। कानाराम पुत्र मोटाराम का देहान्त दिनांक 01.04.1977 को हो चुका है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपील में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक मृतक खातेदार काश्तकार कानाराम की एकमात्र जायन्दा पुत्री है एवं मेरे आलावा कानाराम के प्रथम श्रेणी के कोई वारिस उतराधिकारी नही है। ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण संख्या 811 पारित करने से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 01 को सुनवाई का अवसर प्रदान नही दिया। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अन्त में प्रथम अपील में निवेदन किया कि नामा0 संख्या 811 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त फरमाया जावें। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 01 की अपील दर्ज रजिस्टर करते हुए अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 02 से 15 को जरिये सम्मन से तलब करने का आदेश दिया। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 07, 09, 12, 13 एवं 15 की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा दिनांक 20.10.2022 को पेश किया तथा 15.12.2022 को अपील को स्वीकार किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.10.2022 को अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 08, 10,11 एवं 14 के विरूद्ध जारी सम्मनो की चस्पादगी रिपोर्ट के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उपस्थित अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 12.01.2023 को अपीलाधीन आदेश पारित कर नामा0 संख्या 811 को निरस्त कर दिया गया। जिस अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2023 से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील निम्न आधारो पर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड तलब किया गया एवं रेस्पोडेन्टस को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने हेतु तलब किया गया। परन्तु रेस्पोडेन्टस द्वारा उक्त नोटिसेज प्राप्त कर लेने के बावजूद वे न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए। तत्पश्चात अपीलान्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्त की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा अपील पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इत्यादि का अवलोकन किया।

दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में तथ्यात्मक व्याख्याति एवं कानूनी भूल की है तथा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने मूल नामा0 संख्या 811 को तलब किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि अपीलीय न्यायालय को अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करना आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.09.2022 को अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 से 15 के समन जारी करने का आदेश दिया गया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में सम्मन जारी होने का कोई उल्लेख ही नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी तथाकथित जारी समनो का अवलोकन किया जावे तो समनो पर आवक क्रमांक दर्ज नही है। उक्त सम्मन तहसील देचू के कार्यालय के आवक क्रमांक अंकित नही है और न ही तामिल कुनिन्दा अपीलांटस को तामिल करवाने के लिए अपीलांटस के घर पर कभी नही आया तथा सम्मनो पर तहसीलदार देचू की रिपोर्ट अंकित नही है। इस कारण से सम्मनो को विधिक तामिल नही माना जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानो के विपरित सम्मनो को तामिल होना मानकर अपीलांटस के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने को आदेश पारित किया जो विधिक प्रावधानो के विपरित होने क कारण काबिल खारिज है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तामिल कुन्निदा ने दो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये लेकिन उक्त गवाहान की वल्दियत एव पूर्ण पता अंकित नही किया। सम्मनो पर दो गवाहान में रेस्पोडेंट संख्या 08 दानाराम एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 पोकरराम का पुत्र चैनाराम के हस्ताक्षर है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 से 14 के बीच में वाद विचाराधिन है जिसकी जानकारी भी रेस्पोडेंट को भली भाति रही है। न्याय व्यवस्था को विफल करने की उदेश्य से रेस्पोडेंटस ने षडयत्रपूर्वक तरीके से अधिनस्थ न्यायालय व राजस्व कर्मचारियो से सांठ–गांठ कर बनावटी तामिले बताकर प्रकरण का निस्तारण करवाया हैं। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानो के विपरित हो के कारण काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावें। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट संख्या 01 ने नामा. संख्या 811 दिनांक 21.09.1977 के विरूद्ध करीब 43 वर्ष एश्वात दिनांक 22.09.2022 को अपील प्रस्तुत की। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अपील म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय सर्वप्रथम धारा 05 अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करेगा तत्पश्चात अपील के गुणावगुण पर निस्तारण करेगा। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधिन आदेश विधिक

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रावधानो के विपरित होने के कारण काबिल खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधिन आदेश पारित करने का आधार ग्राम पंचायत भोजाकोर द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 19.09.2022 को माना है। रेस्पोडेंट संख्या 01 रामुदेवी मतृक कानाराम की किसी प्रकार से वारिस नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत को वारिसान प्रमाण पत्र जारी करने का कोई विधिक अधिकार नही होता हैं। ग्राम पंचायत भोजाकोर को मृतक खातेदार कानाराम के वारिसान की जांच करने का आदेश किसने दिया। वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में ग्राम पंचायत भोजाकोर के समक्ष दिनांक 19.09.2022 तक किसी प्रकार का विवाद विचाराधीन नही था। इन परिस्थितयो में ग्राम पंचायत भोजाकोर का वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नही था। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने नामा0 संख्या 811 दिनांक 21.09.1977 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं। उक्त नामा0 के पश्चात अनेक नामान्तरकरण पारित हो चुके है लेकिन रेस्पो0 संख्या 01 ने नामा0 संख्या 811 के बाद पारित होने वाले नामान्तरकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति नही दी है। ऐसे जटिल प्रश्नो के निस्तारण नियमित वाद में ही किया जा सकता हैं न कि राजस्व अपील के जरिये। रेस्पोडेंट संख्या 01 को चाहिए था कि खातेदारी घोषणा का नियमित वाद सक्षम न्यायालय में पेश करती और अपने हक–अधिकार तय करवाती, राजस्व अपील के जरिये उन्हें किसी प्रकार से कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधिन आदेश विधिक प्रावधानो के विपरित होने के कारण काबिल खारिज होने से प्रस्तुत अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.01.2023 को निरस्त किया जावें।

हमने अपीलान्टस के अधिवक्ता के द्वारा की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससे प्रथमतः यह पाया गया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक की ओर से अपीलाधीन नामा0 संख्या 811 स्वीकृति दिनांक 21.09.1977 की जानकारी दिनांक 2.9.2022 को होना बतलाते हुए उक्त नामा0 के विरूद्ध लगभग 40 वर्ष के पश्चात दिनांक 22.09.2022 को प्रथम अपील पेश की गई जिस विलम्ब को कन्डोन करने के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के कथनों की सत्य मानते हुए उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है जबकि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा होना अंकित किया है। ऐसे में उनको दिनांक 2.9.2022 को जानकारी होना के तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

क्योंकि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने हेतु प्रत्येक दिवस का ठोस कारण दर्शित किया जाना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक को स्व0 कानाराम की वारिसान होने के सम्बन्ध में अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा संदेह व्यक्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या एक की अपील पर नामा0 संख्या 811 को सम्पूर्ण निरस्त कर दिया गया है जबकि उसमें अन्य दर्ज खातेदार भी है, जिनसे रेस्पो0 संख्या एक द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, मात्र खातेदार कानाराम पुत्र मोटाराम के हक--हिस्से बाबत अपना अनुतोष चाहा है। ऐसे में उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाना प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा 12.01.2023 को इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि रेस्पो0 संख्या एक रामूदेवी के पिता मृतक सहखातेदार कानाराम पुत्र मोडाराम के नामा0 संख्या 811 में दर्ज हिस्से तक को निरस्त किया जाता है तथा .तहसीलदार, देचू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक कानाराम पुत्र मोडाराम के सभी विधिक वारिसान की जॉच करे तथा नामा0 में कानाराम के हक–हिस्से वाली दर्ज खसरान भूमि के सभी खातेदारों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए तत्पश्चात विधि अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की कार्यवाही 02 माह में आवश्यक रूप से निस्तारण करें। निर्णय आज दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर